राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2730/2025

देवी सहाय जांगिड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त संस्कृत शिक्षा द्वितीय तल ब्लॉक 6 शिक्षा संस्कृत जे एल एन मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.05.2025
आदेश की दिनांक : 02.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : **श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता**

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय पदोन्नति आदेश दिनांक 03.02.2025 की पालना में दिनांक 08.02.2025 को वर्तमान पदस्थापन पर पदोन्नत होकर कार्यग्रहण कर लिया । वर्तमान में प्रधानाध्यापिका के पद पर पदस्थापित है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (विधालय शाखा) नियम 2025 के नियम 30 एवं 31 प्रावधानान्तर्गत प्राध्यापक से प्रधानाचार्य (वरिष्ठ उपाध्याय) पद पर पदोन्नती हेतु गठित विभागीय पदोन्नती समिति की बैठक दिनांक 17.01.2025 के द्वारा की गई अनुशंषानुसार निम्नलिखित प्राध्यापक से प्रधानाचार्य (वरिष्ठ उपाध्याय) पद पर पे मेट्रिक्स लेवल 16 में डीपीसी वर्ष 2024–25 के लिए वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयनित किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सभी अधिकारी के लिए पृथक से आदेश जारी होने तक अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए दिनांक 08.02.2025 तक कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगा। इस प्रकार अपीलार्थी ने 03.02.2025 (अनुलग्नक–1) के आदेशो की पालना में पदोन्नती पर दिनांक 08.02.2025 को कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.04.2025 को विभागीय आदेश दिनांक 03.02.2025 द्वारा पदोन्नत प्रधानाचार्य को उनके नाम सम्मुख अंकित संस्था में

नियमानुसार पदस्थापित किया जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी का पदोन्नती पर पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन समन राजकीय वरिष्ठ उपा० (संस्कृत विद्यालय) मानपुरिया कोट्या दौसा से राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोतीकुआ कोटा जिला कोटा में करीब 300 किमी दूर कर दिया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 25.4.2025 की अनुपालना में 225 प्रवेशिया विद्यालय का वरिष्ठ उपाध्याय में कमोन्नत की क्रियान्विति के सम्बन्ध में 225 प्रवेशिका विद्यालय में कम संख्या 209 पर अंकित विद्यालय जिसका नामांकन शुन्य है को छोडकर शेष 224 राजकीय प्रवेशिका विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत विभागीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नती आदेश का पृष्ठाकन कर जारी किया गया। इस प्रकार वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय महलणी (दौसा) तथा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पावटा गुजर (दौसा) में पद रिक्त है तथा अलवर जिले में भी राजकीय बालिका वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पाली तहसील रेणी जिला अलवर में भी पद रिक्त है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी की माताजी जो 81 वर्ष की आयु की है, जो गम्भीर बीमारी से पीडीत है साथ में अपीलार्थी की पत्नी स्लिप डिस्क, साईटिका की बीमारी से पीडीत है। अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बडा पुत्र राजकीय सेवा में अलवर जिले में पदस्थापित है । तथा छोटा पुत्र एवं पुत्री अध्ययनरत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में जारी पदोन्नती आदेश दिनांक 28.04.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विशाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर

उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष